XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 296–दो/15 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–3–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 33/2014–15/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–12–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा अनुविभागीय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को दर्ज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को तीन माह तक स्थगित किया गया है । स्थगन देने का विवेकाधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है और आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि विवेक का उपयोग अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टि से नहीं किया गया है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :   /2015 निगरानी R-296-II-15

गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवीराम सिंह
जाति ठाकुर निवासी बलकापुरा मौजा
थरा तहसील अम्बाह जिला
मुरैना (म0प्र0)

—— आवेदक

विरूद्ध

1. अशोक सिंह पुत्र होम सिंह
2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र होम सिंह
3. धीर सिंह पुत्र देवीराम सिंह

समस्त जाति ठाकुर
निवासी बलकापुरा मौजा थरा तहसील
अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0)

——अनावेदकगण

अ— निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बाह जिला मुरैना के द्वारा प्र.क्र. 33/2014—15 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 22.12.2014

ब— निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता ।

माननीय न्यायालय महोदय,

आवेदक की ओर से न्यायालय श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बाह जिला मुरैना के द्वारा प्र.क्र. 33/2014—15 अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 22.12.2014 के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

(1) यह कि, प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय तहसीलदार महोदय अम्बाह द्वारा प्र.क्र. 67/12—13 x अ/6 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा ग्राम थरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 202, 280 व 828 की मृतक सह भूमि स्वामी महिला कछबाई के 1/3 भाग पर उसके द्वारा आवेदक गजेन्द्र सिंह के हित में निष्पादित वसियतनामा दिनांक 24.03.2001 के आधार पर आवेदक वसियत गहीता गजेन्द्र सिंह के हित में, विधिवत पक्षकारों की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान किया गया एवं अनावेदकगण